

मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम  
सत्र 2011–12

1.1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के अंतर्गत (अ) मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 1–17
1.2	निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत (अ) मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 18–32
1.3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 33–49

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

**मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में  
बी.आर्क. पाठ्यक्रम में सत्र 2011-12 के लिये  
प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम**

मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में बी.आर्क पाठ्यक्रम में सत्र 2011-12 के लिये प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम:-

**2.1 सामान्य**

ये नियम मध्य प्रदेश में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में बी.आर्क. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगे।

**2.2 परिभाषायें :**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

1. "AICTE" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली;
2. "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा
3. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस आदि);
4. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थाएँ जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी तथा फार्मसी पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
5. "डी.टी.ई." से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
6. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
7. "प्राचार्य" से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
8. "सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
9. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
10. "एन.आर.आई." से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है;
11. "COA" से अभिप्रेत है काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर;

12. "NATA" से अभिप्रेत है नेशनल एप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्कीटेक्चर;
13. "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर);
14. "वर्ग" से अभिप्रेत है इन चारों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), टेकनिकल स्ट्रीम (TS), बिना वर्ग (X);
15. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी;
16. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
17. "मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
18. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्रोतो से कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, दिया जावेगा।

**2.3 लागू होना:—** ये नियम मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय, संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

**2.4 प्रवेश नियम:—**

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

**2.4.1 स्थानों की उपलब्धता**

बी.आर्क. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत सत्र 2011-12 के लिये
1	मध्यप्रदेश में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

नोट :-

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org/](http://www.dtempcounselling.org/) [www.mpachedu.org](http://www.mpachedu.org) पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

#### **2.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण**

मध्य प्रदेश शासन में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बी.आर्क संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा ।

टिप्पणी :

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

**(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम

अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats)  
हेतु बी.आर्क पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण :

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप - 12 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.आर्क के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-13 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। बी.आर्क के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(घ) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&K Residents Seats)  
अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में आल इण्डिया सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं। बी.आर्क के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ड) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट

**(Tuition Fee Waiver Scheme):-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(ढ) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सभी श्रेणियों में सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों हेतु निम्नानुसार क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा:-

अ) बी.आर्क पाठ्यक्रम में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 1 प्रतिशत रहेगा।

**सैनिक वर्ग (S) :-**

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप -4 भाग 'अ' में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

#### अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारूप 4 भाग (ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप 8 में प्रस्तुत करना होगा।

#### अथवा

वह 1 जनवरी, 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप 4 भाग (ब) में)

**टिप्पणी :** सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

#### **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :**

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

**टिप्पणी :** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप 6 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

#### **टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग :**

टेक्निकल स्ट्रीम वर्ग में ऐसे उम्मीदवारों को बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. की (10+2) प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा तकनीकी धारा (Technical Stream) में उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. की (10+2) प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा के साथ-साथ म.प्र. तकनीकी शिक्षा मंडल, भोपाल (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल) से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो।

**बिना वर्ग (Nil Class) (X) :**

जो उम्मीदवार उपरोक्त तीनों वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा ।

**(ब) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण**

**बी.आर्क. पाठ्यक्रम** में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा । ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा । महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा ।

**टिप्पणी:** महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस श्रेणी/वर्ग की पात्रता के **OP** (ओपन) उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु ऐसे स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में महिलाओं की सीटों में समायोजित नहीं किये जावेंगे, किसी भी वर्ग में **OP** (ओपन) सीटों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग के रिक्त स्थान उसी श्रेणी के बिना वर्ग के **X (OP)** उम्मीदवारों के द्वारा भरे जावेंगे ।

**(स) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण :**

**बी.आर्क. पाठ्यक्रम :**

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा

**टिप्पणी :-**

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा ।

2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र;  
तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

- (ण) मध्यप्रदेश राज्य शासन के **चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों** को अतिरिक्त सुविधा:- **बी.आर्क** पाठ्यक्रम हेतु यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें पृथकतः काउंसिलिंग के लिये बुलाकर उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का आवंटन उनकी मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

**टिप्पणी :** "गरीबी रेखा" के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- (त) **एन.आर.आई. (NRI) सीटें :**

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

### 2.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

**बी.आर्क.** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:—

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/इंजीनियरिंग ड्राइंग/कम्प्युटर साइंस/बायोलॉजी में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण ।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

#### नोट :-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा।

### 3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

मध्यप्रदेश में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की बी.आर्क सीटों के विरुद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी :-

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-7 में) ,

#### अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप-8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

### अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :-

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप-9 में) ,

### अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-10 में) ,

### अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-11 में) ,

### स्पष्टीकरण-1 अभिभावक :-

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

### स्पष्टीकरण-2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे

हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

#### **2.4.4 प्रवेश की रीति**

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किये जावेंगे।

#### **2.5. प्रवेश की प्रक्रिया**

##### **2.5.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Offcampus Admission Procedure):**

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

##### **2.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-**

2.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5.2.2 **अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन** – अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

## 2.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

2.6.1 बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को सी.ओ.ए. द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से मेरिट अंको के आधार पर किये जावेंगे । इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.nata.in](http://www.nata.in) पर उपलब्ध है।

### 2.6.2 प्रवेश परीक्षा में अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप 14 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

### 2.6.3 योग्यता क्रम सूचियां

2.6.3.1 उम्मीदवारों द्वारा सी.ओ.ए.(COA) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूचियां (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

#### टिप्पणी:-

1. एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
2. नियम 2.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

### 2.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.6.4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, ऑलइंडिया सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किये जावेंगे।

2.6.4.2 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) / [www.mptechedu.org](http://www.mptechedu.org) पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

#### 2.6.4.3 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

2.6.4.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.6.4.5 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

#### 2.7 प्रवेश का क्रम :-

2.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जायेंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जायेंगे।

2.7.2 **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति..

2.7.3 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

2.7.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से मेरिट अंको के आधार पर आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे। महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

## 2.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:—

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी से अपना प्रवेश रद्द करवाता है या अभ्यर्थी का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए गए संस्थान में प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवेश हेतु रिपोर्ट न करने के कारण रद्द किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा परामर्श (काउन्सलिंग) प्राधिकारी के पास जमा की गई शिक्षण फीस के भाग में से रूपये 1000/- की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथा संस्था के पास जमा की गई शिक्षण फीस का भाग या अन्य फीस, अभ्यर्थी को, जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी।

*अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।*

### (3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

2.9 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –  
(एक) एआईसीटीई के अनुमोदन के अधीन, परिलक्षित संस्था, विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.) को एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत सीमा तक प्रवेश देगी. यह अधिसंख्य स्थान स्नातक अधीन पाठ्यक्रमों के लिये केवल विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों के लिये इस शर्त के साथ होंगे कि यदि किसी भी दशा में वह भरे नहीं जाते है तो विदेशी विद्यार्थियों/भारतीय मूल के नागरिकों/सीआईडब्ल्यूजीसी से भिन्न अन्य को आवंटित कर दिये जावेंगे.

(दो) एआईसीटीई परिलक्षित की गई संस्थाओं में, इस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों की स्नातक अधीन उपाधि में विद्यार्थियों के लिये 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थानों में प्रवेश के लिये अनुमति दे सकेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।

(तीन) ऐसी संस्थाएँ उसके निरीक्षण पर, अधिकतम 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थान को एआईसीटीई के अनुमोदन के पश्चात ही प्रवेश देने के लिये हकदार होंगी। ऐसे स्थान संस्थाओं द्वारा भरे जाएंगे, जिसके पश्चात वे विहित दस्तावेज नियत तारीख तक, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाएंगे.

(चार)संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

**2.10 शिक्षण तथा अन्य फीस :-**

राज्य शासन ने बी.आर्क, पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

**2.11** उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

**2.12** मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

**2.13 क्षेत्राधिकार-**

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) / [www.mpachedu.org](http://www.mpachedu.org) पर उपलब्ध रहेगी।

<b>TABLE - 1</b>		
<b>DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH</b>		
<b>TENTATIVE SEATS IN B. ARCH. COURSE FOR THE SESSION 2011-2012</b>		
<b>GOVT. AIDED INSTITUTIONS</b>		
<b>Institute Name</b>	<b>Branch</b>	<b>Total Seats</b>
Gwalior MITS	B. ARCH.	40

**मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में  
बी.आर्क. पाठ्यक्रम में सत्र 2011-12 के लिये  
प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम**

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में बी.आर्क. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम:-

**3.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम, 2008** है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है।

**3.2. परिभाषाएं:-**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
- (ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;
- (ग) "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (घ) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;
- (ङ) "उपाबंध" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;
- (च) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;
- (छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (छ-1) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस आदि)।

(ज) "फीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(झ) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;

(ञ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ट) "सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ठ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम

द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ड) "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(ढ) "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ण) "व्यापम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;

(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैं:-

1. "डी.टी.ई." से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;

3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
4. COA से अभिप्रेत है काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर;
5. NATA से अभिप्रेत है नेशनल एप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्कीटेक्चर;
6. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹ 2.5 लाख से कम है, दिया जावेगा।
7. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल-निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

### 3.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई./सी.ओ.ए. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम बी. आर्क. संचालित कर रही हों।

### 3.4. प्रवेश नियम:-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

#### 3.4.1 स्थानों की उपलब्धता-

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाए	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत ।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org/](http://www.dtempcounselling.org/) [www.mpachedu.org](http://www.mpachedu.org) पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

### 3.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण-

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

#### टिप्पणी :

- (1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
  - (2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी** :-ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)
- (ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी** :-ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)
- (ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु बी.आर्क पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण :**

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप - 12 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.आर्क के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी 3.3.6.1 में उल्लेखित आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-13 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। बी.आर्क के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(घ) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & K Residents Seats)**  
सामान्य पूल सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित की गई हैं। बी.आर्क के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ड) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tuition Fee Waiver Scheme):-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस

योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

**(ढ) एन.आर.आई. (NRI) सीटें:-**

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

**3.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :**

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

**बी.आर्क** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/इंजीनियरिंग ड्राइंग/ कम्प्युटर साइंस/बायोलॉजी में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

**नोट :-**

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा।

**3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)**

बी.आर्क. की सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-7 में),

**अथवा**

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप-8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

**अथवा**

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :-

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप-9 में),

**अथवा**

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-10 में),

**अथवा**

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-11 में),

**स्पष्टीकरण-1 अभिभावक :-**

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण-2 दत्तक पुत्र/पुत्री :**

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि

विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

#### 3.4.4 प्रवेश की रीति

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किये जावेंगे।

#### 3.5 प्रवेश की प्रक्रिया

##### 3.5.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

*(Online Offcampus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

##### 3.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

##### 3.5.3 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन -

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

#### 3.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

##### 3.6.1 बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को सी.ओ.ए. द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंकों के आधार पर तैयार की गई

मेरिट सूची से मेरिट अंको के आधार पर किये जावेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.nata.in](http://www.nata.in) पर उपलब्ध है।

### 3.6.2 प्रवेश परीक्षा में अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप 14 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

### 3.6.4 योग्यता क्रम सूचियां

3.6.4.1 उम्मीदवारों द्वारा सी.ओ.ए. द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

#### टिप्पणी:-

1. एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
2. नियम 3.6.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

### 3.6.5 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

3.6.5.1 सामान्य पूल सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर किये जावेंगे।

3.6.5.2 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) / [www.mptechedu.org](http://www.mptechedu.org) पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

### 3.6.5.3 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

3.6.5.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3.6.5.5 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

### 3.7 प्रवेश का क्रम :-

3.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।

3.7.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, संस्था स्तर की परामर्श (काउंसिलिंग) के चरण के प्रारंभ होने के पूर्व तक भरने की अनुमति दी जायेगी।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसिलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। प्रवेश निरस्त कराये जाने के कारण खाली होने वाले स्थान रिक्त रखे जाएंगे। किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के

आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त करेगा तथा ये स्थान रिक्त रखे जाएंगे।

3.7.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

3.7.4 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी..

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

3.7.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी..

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे। महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

### 3.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी से अपना प्रवेश रद्द करवाता है या अभ्यर्थी का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए गए संस्थान में प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवेश हेतु रिपोर्ट न करने के कारण रद्द किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा परामर्श (काउन्सलिंग) प्राधिकारी के पास जमा की गई शिक्षण फीस के भाग में से रूपये 1000/- की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथा संस्था के पास जमा की गई शिक्षण फीस का भाग या अन्य फीस, अभ्यर्थी को, जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। *अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कौंशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।*

#### (3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

### 3.9 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –

(एक) एआईसीटीई के अनुमोदन के अधीन, परिलक्षित संस्था, विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.) को एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत सीमा तक प्रवेश देगी. यह अधिसंख्य स्थान स्नातक अधीन पाठ्यक्रमों के लिये केवल विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों के लिये इस शर्त के साथ होंगे कि यदि किसी भी दशा में वह भरे नहीं जाते हैं तो विदेशी विद्यार्थियों/भारतीय मूल के नागरिकों/सीआईडब्ल्यूजीसी से भिन्न अन्य को आवंटित कर दिये जावेंगे.

(दो) एआईसीटीई परिलक्षित की गई संस्थाओं में, इस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों की स्नातक अधीन उपाधि में विद्यार्थियों के लिये 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थानों में प्रवेश के लिये अनुमति दे

सकेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।

**(तीन)** ऐसी संस्थाएँ उसके निरीक्षण पर, अधिकतम 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थान को एआईसीटीई के अनुमोदन के पश्चात ही प्रवेश देने के लिये हकदार होंगी। ऐसे स्थान संस्थाओं द्वारा भरे जाएंगे, जिसके पश्चात वे विहित दस्तावेज नियत तारीख तक, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

**(चार)** संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

### **3.10 शिक्षण तथा अन्य फीस :-**

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने बी.आर्क, पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

#### **संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिए शिक्षण शुल्क.-**

अधिकतम 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये होगा। संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा। परंतु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को इस सूचना अग्रिम में देना होगी।

### **3.11 नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण:-**

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

**3.12** अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

### **3.13 पाठ्यक्रम:-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

### **3.14 निर्वचन:-**

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

### **3.15 अधिकारिता:-**

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट  
[www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) / [www.mpachedu.org](http://www.mpachedu.org) पर उपलब्ध रहेगी।

<b>TABLE - 1</b>		
<b>DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH</b>		
<b>TENTATIVE SEATS IN B. ARCH. COURSE FOR THE SESSION 2011-2012</b>		
<b>PRIVATE INSTITUTIONS</b>		
<b>Institute Name</b>	<b>Branch</b>	<b>Total Seats</b>
I.P.S. Academy Institution of Architecture, Indore	ARCH	80
SDPS Womens College, Indore	ARCH	40
Hitkarni College of Architecture and Planning, Jabalpur	ARCH	40
Bagulamukhi College of Architecture & Planning, Bhopal	ARCH	80
IMT group of institutions, Gwalior	ARCH	80
<b>TOTAL</b>		<b>320</b>

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप  
उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र  
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम : .....

पिता का नाम : .....

अनुसूचित जाति/जनजाति  
(अनु.का क्रमांक) : .....

धर्म : .....

व्यवसाय : .....

पता : .....

.....

.....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि -

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला.....  
(म.प्र.) के लिये घोषित .....अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .....के समक्ष  
जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.....  
को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के  
अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी - जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम.....  
निवासी ग्राम/नगर..... वि.खं..... तहसील.....  
जिला..... संभाग..... के.....जाति/  
जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन  
मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया  
है और यह .....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)  
अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है।  
अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।  
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार  
की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।  
(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम.....  
निवासी ग्राम/नगर..... वि.खं..... तहसील.....  
जिला..... संभाग..... के.....जाति/  
जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन  
मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया  
है और यह .....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)  
अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है।  
अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।  
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार  
की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित  
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी  
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री श्री.....  
निवासी ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला.....  
मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य  
प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक  
एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के  
जिला..... संभाग..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....  
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93  
द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक  
एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के  
कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को  
प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी  
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री श्री.....  
निवासी ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला.....  
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला..... संभाग..... में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....  
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .....  
(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र  
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो  
व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....  
वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के  
लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है—

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय  
वे .....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.....था।

**अथवा**

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस  
क्रमांक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से  
विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

स्थान : .....

दिनांक: .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
जो (परीक्षा का नाम).....वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम  
का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....  
.....के पिता/माता है—

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में .....ओहदे पर सर्विस  
क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश  
में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....से  
सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे  
पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी  
है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान :.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग  
(कार्यालय सील)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में  
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम)..... जो (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.....पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से..... (स्थान) तहसील..... जिला.....में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :.....

दिनांक:.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
(उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती.....(उम्मीदवार  
के पिता/माता का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है जो श्रीमती.....  
.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/वैध  
(Legitimate) पुत्री/पुत्र है।
2. श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का  
नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला .....(जिले का नाम) में संधारित  
(Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक.....  
पर पंजीकृत है।

स्थान :.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....

जो (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का

नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित

छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था.....

.....(संस्था का नाम) में सत्र.....से सत्र.....

तक अध्ययन किया है।

स्थान :.....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

दिनांक:.....

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... जो तहसील.....  
जिला.....मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है  
**अथवा**
2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।  
**अथवा**
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।  
**अथवा**
4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते हैं।

**इसके अतिरिक्त**

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।  
**अथवा**
2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

- (क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा  
(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान : .....

दिनांक: .....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
(कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो.....विभाग में.....पद पर .....(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।

**अथवा**

(ख) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .....(तिथि) को इस विभाग से सेवा निवृत्त हुए।

**अथवा**

(ग) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए.....(तिथि) को हो गई थी।

**अथवा**

(घ) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान : .....

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
(कार्यालय सील)

दिनांक: .....

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... (परीक्षा का  
नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम  
का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है,  
श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक  
1 जनवरी 2011 अथवा उसके पूर्व की तिथि..... से मध्यप्रदेश में स्थित.....  
.....विभाग में.....पद पर पदस्थ  
केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान :.....

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर .....

दिनांक:.....

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
जो (परीक्षा का नाम).....  
..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....  
.....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....  
.....का/की पुत्र/पुत्री है, जो.....योजना के  
तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा  
स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापन योजना (Resettlement scheme) है।

स्थान :.....

हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that .....  
S/o or D/o .....  
R/o ..... Tehsil .....  
District..... A/P.....  
Pin ..... is registered from No. ....  
R/Card No..... At  
S. No. .... of his/her father ration card issued  
from this zone.

**Seal of Tehshildar**

**Zonal Officer / Tehshildar**

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
आत्मज/आत्मजा/श्री .....  
जो (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष ..... के आधार  
पर (पाठ्यक्रम का नाम) .....में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के  
विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के  
पिता/माता श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा  
के अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी  
गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक ..... से दिनांक ..... तक  
..... (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर  
(सील)

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले  
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
आत्मज/आत्मजा/श्री ..... ने वर्ष .....  
की ..... में भारत सरकार,  
युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के  
अधिकार पत्र पर आयोजित .....  
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ..... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान .....  
दिनांक .....

संचालक  
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश  
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

**नोट :-** ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।